राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 98/2014
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2014/00158
3. दायर दिनांक– 12.06.2014 (09.09.2011)
4. निर्णय दिनांक– 26.05.2023

उनवानी

1. तेजकरण पुत्र नाथू जाति माली निवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. लिखमा पुत्र नाथू जाति माली निवासी ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मूलाराम जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. नारायण पुत्र मूलाराम जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
3. लालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
4. राजकुमारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति मेहता नि0 वैशाली नगर, अजमेर
5. रामकरण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
6. जीवण पुत्र मंगला जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
8. उप पंजीयक रूपनगढ़

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी अधि0 प्रार्थीगण
2 श्री ध्रुवसिंह चौधरी, अधि0 अप्रार्थीगण
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरसुरा स्थित ख0न0 865 रकबा 10 बिस्वा, किस्म गै0मु0चाह, ख0न0 769 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, ख0न0 866 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से विगत 5 दशकाधिक अवधि से निर्विवादित रूप से अधिकार, आधिपत्य चला आ रहा है। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा द्वारा उक्त भूमि के बाबत् प्रार्थीगण के पिता नाथू पुत्र कालू को दिनांक 13.05.1969 को नोटिस भी दिया था। ख0न0 866 के पुराना खसरा नम्बर 630 में संवत् 2032, 2033 व 2034 में प्रार्थीगण द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर सतत् निरन्तर अधिकार, आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर सुधार, विकास कार्य कर लाखो रूपये का अर्थ श्रम लगाकर उपजाऊ व कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थीगण के परिवार के जीवन–यापन का साधन उक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर सतत्, निरन्तर खुल्लमखुला आधिपत्य 12 वर्ष से अधिकार अर्वाचीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

26.5.23
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उनके नाम अंकन को नकार चुके है एवं घोषित कर चुके है कि उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण ही स्वामी है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर अधिकार, आधिपत्य 12 वर्ष से अधिक अर्वाचीन, सतत्, निरन्तर बलात आधिपत्य होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं मयाद अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार प्रतिकुल कब्जे से प्रार्थीगण उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्ति के अधिकारी हो चुके है। राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दिखावटी रूप से दर्ज होने के कारण उक्त भूमि को अन्तरित करने में उदद्त हो रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त भूमि पर स्वत्व, अधिकार, परिपक्व होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–63 के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीगण विधि प्रभाव से खातेदार बन चुके है। वाद वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी नाम अंकन के स्थान पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण को खातेदार होने की घोषणात्मक डिकी प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित की जावें।प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 09.07.2011 से उत्पन्न होकर आज तक सतत् है। प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का उक्त सम्पति पर अधिकार, आधिपत्य काफी पुराना होकर परिपक्व हो चुका है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण उक्त सम्पति पर खातेदार की हैसियत से काबिज हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा वाद में अधिकार घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। यदि अप्रार्थीगण को वाद लम्बन रहते हुए उक्त भूमि अन्तरित नहीं किये जाने बाबत् भार बोझ से ग्रस्त नहीं किये जाने बाबत् पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी को तुलनात्मक रूप से काफी कठिनाई होगी। वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ...गढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5 व 6 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–73 जमाबंदी (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 1048 में ख0न0 769 रकबा 0.6714 है0 किस्म बारानी 1, ख0न0 865 रकबा 0.0809 है0 किस्म गै0मु0चाह, ख0न0 866 रकबा 1.5532 है0 किस्म बारानी प्रथम केसर पुत्री लिखमा हि0 1/48 जाति माली सा0देह खातेदार, गंगादेवी पुत्री लिखमा हि0 1/48 जाति माली सा0 देह खातेदार, गोपाल पुत्र लिखमा हि0 1/48जाति माली सा0 देह खातेदार, छोटूराम पुत्र मूलाराम हि0 1/18 जाति माली सा0देह खातेदार, जमना देवी पुत्री लिखमा हि0 1/48 जाति माली सा0 देह खातेदार जीवण पुत्र मंगला (अप्रार्थी संख्या 6) हि0 1/8 जाति जाट सा0 किशनगढ़ राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रूपनगढ़, तेजकरण पुत्र नाथू (प्रार्थी संख्या 1) हि0 5/16 जाति माली सा0देह खातेदार , नारायण पुत्र मूलाराम (अप्राथी संख्या 02) हि0 1/18 जाति जाट सा0 देह खातेदार, मेघाराम पुत्र लिखमा हि0 1/48 जाति माली सा0 देह खातेदार, मनोज पुत्र भंवरलाल हि0 1[illegible] जाति माली सा0 देह खातेदार, राजकुमार सिंह पुत्र मोहनसिंह (अप्रार्थी संख्या [illegible]) [illegible] 1/8 जाति मेहता सा0 किशनगढ़ खातेदार, रामकरण पुत्र [illegible]नाथ (अप्रार्थी संख्या 5) हि0 1/8 जाति जाट सा0किशनगढ खातेदार, लक्ष्मण पुत्र मूलाराम (अप्रार्थी संख्या 1) हि0 1/18 जाति जाट सा0 देह खातेदार, सम्पत देवी पुत्री लिखमा हि0 1/48 सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested

26.5.23

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष की मौखिक बहस भी सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जावें एवं दिनांक 23.03.2022 के आदेश के अनुक्रम में प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 15.01.1988 के प्रथम विक्रय विलेख के रहते हुए एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से चले आ रहे कब्जा के रहते हुए *by operation of law* राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–15, धारा–19 एवं जागीर उन्मूलन अधिनियम के अधीन प्रार्थीगण के परिपक्व अधिकारों को अप्रार्थीगण उपरोक्त सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा–54 के प्रतिकूल विधि से शून्य दस्तावेज से निरसित नहीं किया जावें। इसी क्रम में वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2019 तक अप्रार्थीगण के पूर्वज जगन्नाथ घासल का कब्जा काश्त बताया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रार्थना–पत्र अधीन आराजी पर अर्सेदराज से काविज काश्त चले आ रहे थे तथा विक्रय विलेख दिनांक 18.11.1985 का कब्जे बावत् सही अंकन किया गया है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है जो किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार है। सहखातेदार किसी सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला मूल विवाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन है, जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2006(1) DNJ (Raj) 421., Rajasthan High Court 2009-10(SUPP.) , RRT 411 (SUPREME COURT) 2021(2) ,DNJ (Raj) 516 Rajasthan High Court. पेश की गयी। इसी क्रम में अप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(2) RRT 1430 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTAHAN AJMER, 2021(2) RRT 1405 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTAHAN AJMER व 2013(4) DNJ (Raj) 1466. Rajasthan High Court. पेश किये, जिनका आदरपूर्वक अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की मौखिक व लिखित बहस तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है एवं अपने हक हिस्से तक खातेदारी अधिकारों का उपयोग, उपभोग कर सकते है, परन्तु सहखातेदारों के हक–हिस्से में दखलंदाजी नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है, इस कारण खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] समय तक जारी रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की लिखित व मौखिक बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 18:57:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

26.5.23

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग/महंगाई राहत शिविर अभियान 2023 कैम्प कोर्ट सुरसुरा में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

26.5.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ जिला अजमेर
महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग
एवं महंगाई राहत अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:33 IST
Reason: SelfAttested